अध्याय - IV

वित्तीय प्रबंधन

4.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वित्तपोषण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक माँग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। केंद्रांश की धनराशि का जारी करना सहमत (केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य) श्रम बजट में श्रम माँग के अनुमान पर आधारित होती है । केंद्र द्वारा धनराशि जारी करना पूर्व निर्धारित बजटीय आवंटन के आधार पर न होकर, जिलावार/राज्यवार अपेक्षित श्रम मांग प्रस्तावों पर आधारित होती है।

छत्तीसगढ़ में, राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिए अतिरिक्त 50 दिनों की मजदूरी, मजदूरी के भुगतान में विलंब पर देय मुआवजा, बेरोजगारी भत्ता तथा राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्यय पर होने वाला अतिरिक्त व्यय वहन किया जाता है। वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित छह जिलों में 60:40 का मजदूरी-सामग्री अनुपात निरंतर बनाए रखा गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि श्रम-आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी गई थी।

मनरेगा योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य हिस्सेदारी का अनुपात **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय साझेदारी

घटक का विवरण	केन्द्रांश (प्रतिशत में)	राज्यांश (प्रतिशत में)
अकुशल श्रमिकों की मजदूरी	100	शून्य
कुशल एवं अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी	75	25
सामग्री की लागत	75	25
बेरोजगारी भत्ता	शून्य	100
प्रशासनिक व्यय	100	राज्य रोजगार गारंटी परिषद का व्यय
अकुशल श्रमिकों के लिए अतिरिक्त 50 दिनों की मजदूरी	शून्य	100

(स्रोत: मनरेगा अधिनियम, 2005 तथा छत्तीसगढ़ शासन का राजपत्र अधिसूचना)

4.2 राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 21 की उपधारा (1) में कार्यान्वयन राज्य में मनरेगा के क्रियान्वयन हेतु राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा मार्च 2012 में राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना की गई।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधि का केंद्रांश राज्य के जिलों/पंचायतों/कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों के आवंटन के लिए राज्य के राज्य रोजगार गारंटी कोष में जारी किया जाता है। नियमों के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार गारंटी योजना के निधियों पर अर्जित ब्याज राज्य रोजगार गारंटी कोष का ही हिस्सा होगा तथा इसका व्यय केवल भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2019-24 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता एवं किए गए व्यय की विस्तृत स्थिति, **परिशिष्ट 4.1** में दी गई है तथा इसका सारांश **तालिका 4.2** में संक्षेप में दी गई है।

तालिका 4.2: वर्ष 2019-24 के दौरान निधियों की उपलब्धता एवं किए गए व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष	कुल जारी	विविध प्राप्तियाँ	निधि हंस्तान्तरण आदेश की अस्वीकृत राशि	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय	अंतिम शेष
2019-20	115.47	3021.67	5.02	0.00	3142.16	2932.78	209.38
2020-21	209.38	4331.50	38.20	41.29	4537.79	4419.35	118.44
2021-22	118.44	4444.91	188.92	203.39	4548.89	3911.00	637.89
2022-23	637.89	3786.04	67.98	87.93	4403.99	3720.00	683.99
2023-24	683.99	3619.38	28.30	319.74	4011.92	3474.20	537.72
कुल	**1765.17**	**19203.50**	**328.42**	**652.35**	**20644.75**	**18457.33**	**2187.42**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

कुल उपलब्ध निधियाँ, किए गए व्यय तथा बचत को **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: कुल उपलब्ध निधि, व्यय एवं बचत का विवरण

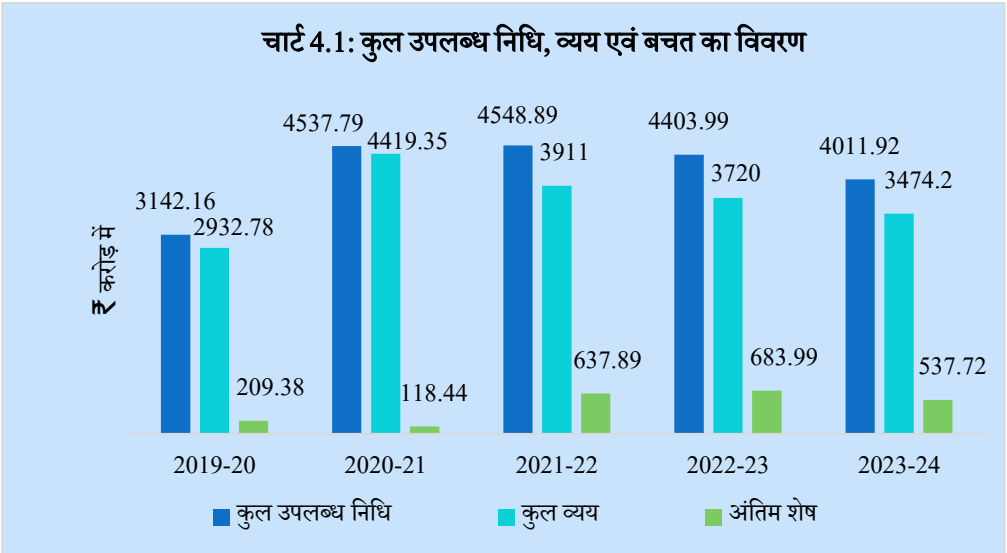

पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, कुल उपलब्ध निधि के विरुद्ध कुल व्यय 84 से 97 प्रतिशत के बीच रहा। तथापि, वर्ष 2019-24 के दौरान स्वीकृत कुल 20.83 लाख कार्यों में से केवल (अक्टूबर 2024 तक) ₹15,514.60 करोड़ के व्यय के साथ 12.64 लाख कार्य (61 प्रतिशत) ही पूर्ण हुए थे, जबकि 3.87 लाख कार्य प्रगतिरत/अपूर्ण थे तथा 4.32 लाख कार्य प्रारंभ ही नहीं किए जा सके।

वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध ₹20,644.75 करोड़ की निधि में से, मजदूरी (₹ 13,555.58 करोड़), सामग्री (₹ 4,088.44 करोड़) तथा प्रशासनिक व्यय (₹ 813.33 करोड़) पर कुल ₹18,457.33 करोड़ का व्यय किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 4.1** में वर्णित है। इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष निधियों के कम उपयोग को दर्शाती है।

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2025) कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधियों का विलंब से आवंटन तथा पिछले वर्षों की निधियों का पूर्ण उपयोग न हो पाने के कारण अप्रयुक्त शेष राशि बनी रही, जो अंतिम शेष के रूप में परिलक्षित होती है तथा अगले वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक शेष के रूप में ली जाती है।

4.3 प्रशासनिक व्यय से कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदान का अनियमित भुगतान

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 12.5.2 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार कर्मचारी एवं क्षमता निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में राज्यों को कुल वार्षिक मनरेगा व्यय का छह प्रतिशत तक आबंटित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत, नियोक्ताओं सहित प्रधान नियोक्ताओं को सभी पात्र कर्मचारियों के लिए समय पर कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है। नियमों का अनुपालन न होने पर दंड एवं हर्जाना देना पड़ता है जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त द्वारा आकलन किया गया हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कर्मचारी भी अप्रैल 2015 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिनियम के दायरे में आते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन ने निर्देश दिया (मई 2020) कि अप्रैल 2015 से जून 2018 तक के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का आकलन कर्मचारी के पात्रता के आधार पर किया जाए, विशेषकर ₹ 15,000 प्रतिमाह से कम कमाने वालों के लिए, जिन्हें नियोक्ता योगदान एवं प्रशासनिक शुल्क के साथ अपने वेतन का 12% अंशदान देना होगा। निर्देश में यह भी कहा गया कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान नियमित रूप से जमा किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 28 जिलों में, अप्रैल 2015 से मार्च 2023 तक के लिए ₹ 29.62 करोड़ का कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान नहीं किया गया। वैधानिक बकाया राशि के जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 84.59 करोड़ की देनदारियाँ संचित हो गईं, जिनमें से ₹ 54.96 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना, ब्याज तथा क्षतिपूर्ति की थीं। जुर्माना की समस्या को हल करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 40 करोड़ स्वीकृत किए और इसे आयुक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के निपटान में रखा। विभाग कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहा, जिससे राज्य सरकार पर देनदारियाँ उत्पन्न हुईं।

आगे देखा गया कि अप्रैल 2015 से जून 2018 तक की अवधि के लिए ₹ 74.72 लाख का

कर्मचारी भुगतान[1] सात कार्यालयों द्वारा संबंधित कर्मचारियों के वेतन से कटौती करने के बजाय प्रशासनिक व्यय मद से अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

इस पर सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि स्वीकृत ₹ 40 करोड़ की पूरी राशि बाद में सभी 30 जिला कार्यालयों को जारी कर दी गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन और कर्मचारी भविष्य निधि के जमा में विलंब, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मद में निधियों के विलंब से प्राप्त होने से हुआ, जिसके कारण दंड और ब्याज उत्पन्न हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राशि जारी होने के बावजूद ₹ 14.96 करोड़ ब्याज और दंड के रूप में भुगतान योग्य बनी हुई थी। भारत सरकार द्वारा धन आवंटन में देरी राज्य को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी से छूट नहीं देती है।

4.4 मजदूरी भुगतान में विलंब पर देय मुआवजा का भुगतान न होना

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 3(3) के अनुसार, मजदूरों को मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया जाना चाहिए, और इस अवधि के बाद कोई भी विलंब पर उन्हें अवैतनिक मजदूरी का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन के दर से मुआवजे का हकदार बनाता है। वार्षिक मास्टर परिपत्र में उल्लेखित अनुसार, इस मुआवजा का भुगतान राज्य रोजगार गारंटी कोष से अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए, देय होने के 15 दिन के भीतर निपटाया जाना चाहिए और इसे मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया के अनुरूप संसाधित किया जाना चाहिए, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नरेगासॉफ्ट में विधिवत दर्ज की गई कोई भी अस्वीकृति शामिल है।

इसके अलावा, परिचालन दिशानिर्देश के अनुच्छेद 8.8 के अनुसार, विलंबित मजदूरी के साथ मुआवजे का भुगतान स्वतः किया जाना चाहिए और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसे सूचना प्रबंधन प्रणाली (आर-14.1) में किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2019-24 के दौरान मजदूरी भुगतान में विलंब पर देय मुआवजे की स्थिति **तालिका 4.3** में दी गई है।

[1] आयुक्त (₹ 11,89,110), जिला परियोजना समन्वयक : बलरामपुर(₹ 7,52,894), दंतेवाड़ा (₹ 4,45,664), रायपुर(₹ 5,17,491), सरगुजा(₹3,87,017), कार्यक्रम अधिकारी : दंतेवाड़ा (₹ 13,24,747), धरसीवा(₹ 11,05,855), तिल्दा(₹ 17,49,257)

तालिका 4.3: मजदूरी भुगतान में विलंब पर देय मुआवजे की स्थिति

वर्ष	विलंबित देय मुआवजा			स्वीकृत एवं भुगतान की गई राशि (₹ में)		कुल अस्वीकृत मानव दिवस (करोड़ में)
	मानव दिवस (करोड़ में)	देय राशि (₹ करोड़ में)	सत्यापन हेतु शेष राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि	देय मानव दिवस का प्रतिशत
2019-20	6.40	2.82	0.11	362	254	6.12 (96)
2020-21	14.18	6.90	2.28	729	0	9.30 (66)
2021-22	13.72	6.79	2.12	29551	1676	9.27 (68)
2022-23	17.95	8.45	2.65	6194	5650	11.82 (66)
2023-24	0.01	0.01	-	97	97	0.01(91)[2]
कुल	**52.26**	**24.97**	**7.16**	**36933**	**7677**	**36.52 (70)**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट के सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान सूचना प्रबंधन प्रणाली में विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजे के दावों की एक बड़ी संख्या (66 से 91 प्रतिशत) को नरेगासॉफ्ट में प्राकृतिक आपदाओं अथवा "मुआवजा देय नहीं" जैसे कारण दर्शाते हुए बिना किसी औचित्य या सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराए अस्वीकार कर दिया गया। कुल देय मुआवजा ₹ 24.97 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 7,677 का भुगतान किया गया, ₹ 7.16 करोड़ का दावा असत्यापित रहा, जबकि वर्ष 2019-24 के दौरान ₹ 1.75 करोड़ का बजटीय प्रावधान उपयोग न होने के कारण व्यपगत हो गया।

चयनित छह जिला पंचायतों में ₹ 5.75 करोड़ का मुआवजा देय था, पर केवल ₹ 254 का भुगतान हुआ। इसी प्रकार, नमूना जांच किये गए 12 जनपद पंचायतों में ₹ 1.99 करोड़ का मुआवजा बिना किसी दस्तावेज़ी प्रमाण के अस्वीकृत कर दिया गया एवं 48 ग्राम पंचायतों में ₹ 13.07 लाख का मुआवजा देय था, लेकिन सभी विलंब दिनों को बिना औचित्य अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार, विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजे के दावे को उचित औचित्य के बिना अस्वीकृत कर दिया गया था।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि मजदूरी भुगतान में विलंब, भारत सरकार से निधियों के देर से प्राप्त होने के कारण हुआ। इसके अलावा, नरेगासॉफ्ट में मुआवजा भत्ता भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पात्र श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में विलंब होने पर मुआवजा सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से स्वतः ही किया जाना था। निधि प्राप्ति में विलंब तथा सॉफ्टवेयर में प्रावधान का अभाव, बिना किसी औचित्य एवं सहायक अभिलेखों के दावों को अस्वीकार करने या सत्यापन न करने को न्यायसंगत नहीं ठहराती है।

[2] (141878/155088) * 100 = 91 प्रतिशत